



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 307) पटना, शुक्रवार, 15 मई 2020

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
9 मई 2020

सं० 1/एफ1-103/2020-1218/श्र०सं०—चूँकि वर्तमान में कोविड-19 वायरस महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है;

इसलिए, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 एवं 62(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार राज्य में निबंधित सभी कारखानाओं के लिए राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह के लिए धारा 65 की उपधारा (3) की कंडिका (i) एवं (iii) के प्रावधानों में निम्न शर्तों के साथ छूट दिया जाना विनिर्दिष्ट करती है :-

01. किसी भी व्यस्क कर्मकार से किसी भी दिवस में 12 घंटे से अधिक तथा सप्ताह में 72 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जायेगा।
02. किसी दिन में काम का विस्तार इस तरह से निर्धारित होगा कि प्रत्येक कर्मकार को 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य रूप से दिया जाएगा एवं कोई भी कर्मकार 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा जब तक कि इसे 30 मिनट का विश्राम न दिया गया हो।
प्रत्येक कर्मकार को अतिकाल कार्य हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 59 के प्रावधानानुसार अतिकाल अवधि का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

15 मई 2020

संख्या-1/एफ1-103/2020-1219/ श्र०सं०, 1218/श्र०सं० दिनांक 9 मई 2020 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 9th May 2020

No.-1/F1-103/2020, L.R.)-1218—Whereas, the Covid-19 Virus pandemic has deteriorated the industrial and economic activities in the State of Bihar and for providing impetus to the industrial and economic activities in the State, it is important to provide new opportunities for industrial investment in the State;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 and 65(2) of the Factories Act, 1948, the Government of Bihar hereby directs that all the factories registered under the Factories Act, 1948 shall be exempted under clause (i) and (iii) of sub-section (3) of Section 65 with the following conditions for 3 months from the date of publication of this notification in Bihar Gazette:-

- (1.) No adult worker shall be allowed or required to work in a factory for more than twelve hours in any day and seventy two hours in any week.
- (2.) The periods of work of adult workers in a factory each day shall be fixed that no period exceed six hours and that no worker shall work for more than six hours before he has had an interval for rest of at least 30 minutes.

Over time wages shall be paid as provided under section 59 of the Factories Act, 1948

By the order of the Governor of Bihar

SUDHIR KUMAR,

Additional Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 307-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>